उत्तर प्रदेश सरकार
भाषा अनुभाग–1
संख्या–287 / 21–1–2007–सा0–7 / 2007
लखनऊ: दिनांक 18 जून,2007

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 अधिसूचना संख्या–135 / 21–1–98–5(3) / 94, दिनांक 17 मार्च,1993 तथा अधिसूचना संख्या–735 / 21–1–98–5(3) / 94,दिनांक 03 अक्टूबर,1998 के अनुक्रम में उ0प्र0 पंजाबी अकादमी की नियमावली के नियम–5(झ), नियम–7,नियम–9(1)(1),नियम–9(1)(2),नियम–9(1)(4), नियम–9(1)(3 से 14),नियम–9(2), नियम–9(9) नियम–10 को संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्द्धन / संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियम–5(झ)–सचिव का तात्पर्य उ0प्र0 पंजाबी अकादमी के सचिव से है।	5(झ)– उपाध्यक्ष का तात्पर्य उ0प्र0 पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष से है।
नियम–7– अकादमी की सदस्यता– अकादमी की साधारण सभा में सदस्यों एवं पदाधिकारियों की कुल सम्मिलित संख्या–14(चौदह) होगी जिन्हें शासन द्वारा नामित किया जायेगा। इन सदस्यों एवं पदाधिकारियों में से तीन (3) व्यक्ति राज्य सरकार में अपने पद की हैसियत से सम्मिलित होंगे जिन्हें आगे पदेन सदस्य कहा गया है। तथा ग्यारह (11) व्यक्ति गैर सरकारी होंगे।	नियम–7– अकादमी की सदस्यता– अकादमी की साधारण सभा में सदस्यों एवं पदाधिकारियों की कुल सम्मिलित संख्या–10 (दस) होगी,जिन्हें शासन द्वारा नामित किया जायेगा। इन सदस्यों एवं पदाधिकारियों में से तीन (03) व्यक्ति राज्य सरकार में अपने पद की हैसियत से सम्मिलित होंगे जिन्हें आगे पदेन सदस्य कहा गया है तथा छः (06) व्यक्ति गैर सरकारी होंगे।
नियम–9(1)(1)–अध्यक्ष:– पंजाबी अकादमी के अध्यक्ष मा0 भाषा मंत्री तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल होंगे।	नियम–9(1)(1)–अध्यक्ष:– पंजाबी अकादमी के अध्यक्ष मा0 भाषा मंत्री तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल होंगे।

	नियम–9(1)(1)(क)–कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन भाषा विभाग होंगे।
नियम–9(1)(2)–कार्यकारी अध्यक्षः– पंजाबी भाषा एवं साहित्य के विकास में रूचि रखने वाले विद्वान व्यक्ति मा0 भाषा मंत्री द्वारा नामित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रमुख सचिव भाषा होंगे।	नियम–9(1)(2)– उपाध्यक्षः पंजाबी भाषा एवं साहित्य के विकास में रूचि रखने वाले विद्वान व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नामित किया जायेगा।
नियम–9(1)(4)–सचिवः–पंजाबी भाषा के विकास में रूचि रखने वाला व्यक्ति अकादमी सचिव होगा जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित किया जायेगा।	नियम–9(1)(4)– निरस्त किया गया।
नियम–9(1)(6 से 14)– सदस्यः–नौ सदस्य ऐसे होंगे जो पंजाबी भाषा और साहित्य के विकास में रूचि रखने वाले साहित्यकार अथवा वरिष्ठ पत्रकार होंगे।	नियम–9(1)(6 से 10)– सदस्यः– पांच सदस्य ऐसे होंगे जो पंजाबी भाषा और साहित्य के विषय में रूचि रखने वाले साहित्यकार अथवा वरिष्ठ पत्रकार होंगे।
नियम–9(2)– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार चार माह के अन्तराल में होगी सचिव कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से बैठके आयोजित करेगा।	नियम–9(2)– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार चार माह के अन्तराल में होगी निदेशक कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से बैठके आयोजि करेगा।
नियम–9(9)– यदि अकादमी के कम से कम आठ (8) सदस्य,जिनमें दो सरकारी सदस्य होना अनिवार्य है,विशेष बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव निश्चित रूप से हस्ताक्षरों सहित सचिव को भेज कर विशेष बैठक बुलाने की मांग करें तो विशेष बैठक बुलायी जायेगी।	नियम–9(9)– निरस्त किया गया।
नियम–10–साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्तिः– साधारण सभा की बैठक के लिए कम से कम 2 पदेन सदस्यों और 6 गैर सरकारी सदस्यों का कोरम	नियम–10–साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्तिः– साधारण सभा की बैठक के लिए कम से कम 2 पदेन सदस्यों और 2 गैर सरकारी सदस्यों का कोरम पर्याप्त होगा।

पर्याप्त होगा। प्रतिबंध यह है कि कोरम के अभाव में स्थगित बैठक में विचारार्थ प्रस्तावित विषयों पर विचार करने हेतु भविष्य में की जाने वाली बैठक में कोरम की आवश्यकता न होगी प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा किन्तु मतों की समानता में अध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।	प्रतिबंध यह है कि कोरम के अभाव में स्थगित बैठक में विचारार्थ प्रस्तावित विषयों पर विचार करने हेतु भविष्य में की जाने वाली बैठक में कोरम की आवश्यकता न होगी प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा किन्तु मतों की समानता में अध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

2-- उक्त के अतिरिक्त नियमावली में अंकित प्रत्येक स्थान पर सचिव के स्थान पर निदेशक पढ़ा जाय।

3-- नियमावली के शेष नियम यथावत् समझे जायें।

डा0 अनीता भटनागर जैन
सचिव

संख्या-287(1)/21-1-2007-सा0-7/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव,मंत्रिमण्डलीय सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2-- निजी सचिव,प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश शासन।
3-- निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव,भाषा विभाग,
4-- प्रमुख सचिव,न्याय विभाग।
5-- प्रमुख सचिव,वित्त विभाग।
6-- प्रमुख सचिव,शिक्षा विभाग।
7-- निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/संस्कृति विभाग।
8-- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
ज्येष्ठ भाषा अधिकारी